अजय त्यागी, एच0जे0एस0
सदस्य सचिव

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

समस्त जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दीवानी न्यायालय परिसर
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–1523/एसएलएसए– 119/2019 दिनांक : अक्तूबर 05 ,2020

विषय : दिनांक 01.11.2020 को ***Motor Accident Claim Cases*** के निस्तारण हेतु ***e-Lok Adalat*** का आयोजन किये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

आपको अवगत कराना है कि कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण विगत कई माह से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नहीं हो सका है, परन्तु नाल्सा के द्वारा विशिष्ट मामलों के निस्तारण हेतु **e-Lok Adalat** का आयोजन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति/माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लम्बित Motor Accident Claim Cases के निस्तारण हेतु दिनांक 01.11.2020 को e-Lok Adalat का आयोजन किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। राज्य प्राधिकरण के द्वारा उक्त ***e-Lok Adalat*** के आयोजन हेतु ***Standard Operating Procedure (SOP)*** तैयार किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। यहाँ यह अंकित किया जाना भी महत्वपूर्ण है कि कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में जिले की स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ***SOP*** में वर्णित प्रकिया यथासम्भव संशोधित की जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके *जनपद में कार्यरत* Motor Accident Claims Tribunal *के पीठासीन अधिकारियों को सूचित किये जाने का कष्ट करें कि वे,* ***Standard Operating Procedure (SOP)*** *के अनुसार, लम्बित* ***Motor Accident Claim Cases*** *निस्तारण हेतु दिनांक 01.11.2020 को* ***e-Lok Adalat*** *का आयोजन किये जाने का कष्ट करें। यदि आपके जनपद में पृथक* Motor Accident Claims Tribunal *का गठन हो चुका है तो उनके पीठासीन अधिकारी को उक्त* ***e-Lok Adalat*** *के आयोजन हेतु सूचित करने की कृपा करें।*

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
5-X-2020
(अजय त्यागी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : पीठासीन अधिकारी, Motor Accident Claims Tribunal को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अजय त्यागी)
सदस्य सचिव

तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ-226001
फोन (का0) : 2286395, 2286265 (फैक्स) : 0522-2286260, 2287972 ई-मेल : upslsa@up.nic.in वेब साइट : www.upslsa.up.nic.in
टोल फ्री नं. 1800 419 0234

अजय त्यागी, एच0जे0एस0
सदस्य सचिव

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

समस्त जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दीवानी न्यायालय परिसर
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–1523/एसएलएसए– 119/2019 दिनांक : अक्तूबर 05 ,2020

विषय : दिनांक 01.11.2020 को ***Motor Accident Claim Cases*** के निस्तारण हेतु ***e-Lok Adalat*** का आयोजन किये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

आपको अवगत कराना है कि कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण विगत कई माह से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नहीं हो सका है, परन्तु नाल्सा के द्वारा विशिष्ट मामलों के निस्तारण हेतु **e-Lok Adalat** का आयोजन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति/माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लम्बित Motor Accident Claim Cases के निस्तारण हेतु दिनांक 01.11.2020 को e-Lok Adalat का आयोजन किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। राज्य प्राधिकरण के द्वारा उक्त ***e-Lok Adalat*** के आयोजन हेतु ***Standard Operating Procedure (SOP)*** तैयार किया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। यहाँ यह अंकित किया जाना भी महत्वपूर्ण है कि कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में जिले की स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ***SOP*** में वर्णित प्रकिया यथासम्भव संशोधित की जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके *जनपद में कार्यरत* Motor Accident Claims Tribunal *के पीठासीन अधिकारियों को सूचित किये जाने का कष्ट करें कि वे,* **Standard Operating Procedure (SOP)** *के अनुसार, लम्बित* **Motor Accident Claim Cases** *निस्तारण हेतु दिनांक 01.11.2020 को* **e-Lok Adalat** *का आयोजन किये जाने का कष्ट करें। यदि आपके जनपद में पृथक* Motor Accident Claims Tribunal *का गठन हो चुका है तो उनके पीठासीन अधिकारी को उक्त* **e-Lok Adalat** *के आयोजन हेतु सूचित करने की कृपा करें।*

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(अजय त्यागी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : पीठासीन अधिकारी, Motor Accident Claims Tribunal को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5-X-2020
(अजय त्यागी)
सदस्य सचिव

SOP regarding E-Lok Adalat (Motor Accident Claim cases)

Identification of cases

1. Wide publicity be made by DLSA so that more and more litigants may have knowledge regarding holding of Lok Adalat.
2. Secretary DLSA will arrange at least two meetings between the lawyers, who generally conduct Motor Accident Claim cases from either side and presiding officer of Tribunal, so that they may interact with each other for identification as many cases as possible in which there is high possibility of compromise.

Procedure

Parties or their counsel will submit compromises in DLSA till particular date, before the date of E-Lok Adalat. This date should be at least one week prior to the actual date of E-Lok Adalat. After collecting all the compromises, DLSA will regularly send them in concerned Tribunal on next day.

In compromise format, apart from terms and conditions of compromise, there must be mobile number as well as whats app number (if available) of both parties and their counsel along with photographs affixed on it.

Verification of Papers

Learned counsel of insurance companies will get vehicle papers and medical bills etc. verified, well in time, prior to submission of compromise in DLSA.

Verification of compromise by P.O.

1. Where compromise is signed by both the parties, any of the following mode may be adopted:-

(a) Terms and conditions of compromise may be verified by presiding officer by making video call to the parties on their available mobile numbers.

(b) Whatsapp message can be sent to the parties for obtaining their consent. If parties respond in affirmative and send their consent in 'YES' then screen shot of above message and consent may be taken and its printout will be kept on record which will form part of record.

(c) If P.O. thinks that physical presence of parties is required for verification, he may inform the parties/counsel, through whatsapp message or telephonic conversation, to appear before him by fixing dates in such manner that limited number of files be fixed in one day,b to avoid large gathering at a time in premise and verify the compromises.

This exercise must be completed before the date of E-Lok Adalat.

Presiding officer of Tribunal may adopt any other suitable mode but he/she should prefer (a)&(b) above.

This is worth mentioning that if parties of any compromise are ready to get it verified on the same day of submission in DLSA, in that case Secretary DLSA will send that compromise to the Tribunal forthwith and P.O. will verify it on same day.

2. Where compromise is signed only by learned counsel of parties and not by the parties themselves, in that case P.O. will follow mode as mentioned in clause-1(c) above and obtain

signature/thumb impression and photographs of parties, if not already affixed, at the time of verification.

3. Tribunal shall pass suitable orders on compromise on the date of E-Lok Adalat.
4. If a compromise is rejected by the Tribunal, it will be communicated to the parties or their counsel telephonically or by sending whatsapp message.

****